

सं0 सं0 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 राजधारी रंजन
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.3.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र0सं0	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अनीता देवी पति-मेघन पासवान (भगत) ग्राम+पो0-नावानगर थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	कमलेश प्रसाद पिता-कारु राम ग्राम-जमालपुर पोस्ट-लारी थाना-कुर्था जिला-अरवल	हृदय रोग	₹ 85,000 /-(पचासी हजार) स्वीकृत।
3	रूपरानी देवी पति-अमलेश पाण्डेय ग्राम-खबसा पोस्ट-खबसी थाना-बनीयापुर जिला-सारण, छपरा	हृदय रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	हलीवंत प्रसाद श्रीवास्तव पिता-स्व.शिव मोहन प्रसाद मोहल्ला-आनन्द नगर पोस्ट+थाना+जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
5	रीना देवी पति-राम बालक साह ग्राम-राजापुर राघो पोस्ट-रसीदपुर थाना-बछवाड़ा जिला-बेगुसराय	हृदय रोग	₹ 25,000 /-(पच्चीस हजार) स्वीकृत।

6	राजेश राय पिता-मरई राय ग्राम-जगदीशपुर पोस्ट+थाना- भगवानपुर जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
7	लालपरी देवी पति-स्व. नागेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-दिलावरपुर पोस्ट+थाना-विदुपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,85,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,85,000/- (दो लाख पचासी हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 849925 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकड़बाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालु , बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम.....RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक


प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 849925 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त की कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 360 (14)

पटना, दिनांक - 30-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
27/03/15

सं० सं० 14/एम 11-2/14
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० राजधारी रंजन

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.3.15 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	शिवन प्रसाद पिता-स्व. छोटु प्रसाद यादव ग्राम-बुलाकी बीगहा पो०-पभेड़ा, थाना-धनरूआ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
2	अंजुमन आरा नसीर पति-मो० हसमुद्दीन ग्राम-बेली सराय पोस्ट-थाना-मोतिहारी जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 25,000/- (पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	गायत्री देवी पति-शंभु नाथ झा ग्राम-ब्राहमन टोला पो०-बलहा थाना+जिला-सुपौल	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
4	माया प्रसाद सिंह पिता-देव नारायण सिंह ग्राम-सतपरसा पोस्ट-हजरतसाई थाना-धनरूआ जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			₹ 2,10,000/- (दो लाख दस हजार)

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,10,000/-(दो लाख दस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 849928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि० कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं० IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन
ह०/-
(डा० राजधारी रंजन)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 849928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक - 363 (14)

पटना, दिनांक - 30-3-15

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों का/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
27/03/15

